अधि0 वादी / प्रार्थी / अभियुक्त / विपक्षी

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला—राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :— रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्या:— 2023/33 राजस्व वाद निर्णय दिनांक— 09.06.2025

अनवान

1. मकबुल खां पिता सरदार खां, जाति मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद के पावर ऑफ एर्टोनी होल्डर शकीला पत्नी मकबुल खां, जाति मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी— देलवाडा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

.... प्रार्थी

बनाम

1. मौहम्मद खां पिता वजीर खां, उम्र वयस्क, जाति मुसलमान, निवासी गांव देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. श्रीमति कमला बाई पत्नि वाला जी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी गांव कैलाशपुरी, जिला उदयपुर।
3. श्रीमति मोहनी पुत्री वाला जी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी गांव हियोल, देलवाडा, प. कालीवास, जिला राजसमंद।
4. श्रीमति गीता पुत्री वाला जी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी गांव बिलोता, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
5. श्रीमति मीना पुत्री वाला जी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी गांव कैलाशपुरी, जिला उदयपुर।
6. श्री प्रकाश पुत्र वाला जी, जाति डांगी, आयु नाबालिग, निवासी गांव कैलाशपुरी, जिला उदयपुर जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता कमली बाई पत्नि वाला जी, जाति डांगी, निवासी गांव कैलाशपुरी, जिला उदयपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा।
8. उपपंजीयन अधिकारी पंजीयन कार्यालय, नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा।

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2</u>

<u>सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी</u>

उपस्थित:—

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र टांक, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता विपक्षीगण 2 लगायत् 6।
3. विपक्षी संख्या 1बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक—तरफा।
4. विपक्षी संख्या 7,8 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने आप न्यायालय में उक्त अनवान का वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का <u>विपक्षी/प्रतिवादीगण</u> के विरूद्व पेश कर दिया है जो सही एवं सुदृढ आधारों पर होने से प्रार्थी को पूर्ण उम्मीद है कि उन्हें उसमें सफलता प्राप्त होगी। यह कि स्थान गांव देलवाडा, पटवार सर्कल देलवाडा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

आराजी संख्या 1909,1911,1912,1913 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा

सहायक कलक्टर, नाथद्वारा

उक्त कृषि भूमियां हिम्मद खां वल्द बख्स जी ने सरदार खां जी को बेचान करने के पश्चात् उक्त कृषि भुमियां प्रार्थी के ससुर सरदार खां जी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी के आधिपत्य में चली आ रही है तथा प्रार्थी ही उक्त जमीन को कमा खा रहे है। राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण उक्त कृषि भुमियां विपक्षीगण के खाते चली गई तथा विपक्षीगण का नाम उक्त कृषि भुमि में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुका है जबकि उक्त भुमि पर आधिपत्य प्रार्थी का ही चला आ रहा है तथा विपक्षीगण उक्त भुमि पर कभी भी नहीं आये और न ही उक्त भुमि पर उनका कभी भी कोई आधिपत्य या स्वामित्व ही रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त भुमि की वर्तमान जमाबंदी की नकल निकाली गई तो उसे पता चला कि उक्त कृषि भुमि विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड की गलती के कारण चली गई है जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है तथा उक्त कृषि भुमि विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हो गई है उसे प्रार्थी के नाम पर घोषित करवाया जाना भी आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को इस संबंध में कई बार निवेदन किया तो विपक्षीगण ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी है कि वे प्रार्थी के नाम पर उक्त कृषि भुमियां दर्ज नहीं करवायेगें तथा उक्त कृषि भुमियों पर जबरदस्ती कब्जा करके रहेंगे इस कारण उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में विघमान है तथा विपक्षीगण यदि उक्त प्रकार से प्रार्थी की भुमि हथियाने और उसे भुमि से वंचित करने के लिए आमादा है जिससे दौराने प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा तुरन्त ही जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी कि जिनका अंकन रूपयों में संभव नहीं होगा उसे अनुपातनः अत्यधिक असुविधा होगी जबकि विपक्षीगण को कोई हानि नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर पक्षकारान् के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी। अतः प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना अनिवार्य हो गया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर के प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावें कि वादग्रस्त भुमि में प्रार्थी के स्वतंत्र उपयोग, उपभोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें, जबरदस्ती भुमि में प्रवेश नहीं करें और न ऐसा अपने किसी नौकर, एजेन्ट, परिवार के सदस्य या अन्य किसी से ही करवाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक–तरफा करने के आदेश दिए जाकर। विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व कार्यवाही एक–तरफा की गई। विपक्षी संख्या 2 लगायत् 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी द्वारा मूल वाद में वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। विपक्षी संख्या 7,8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 7,8 द्वारा प्रस्तुत जवाब में पैरोकार सरकार द्वारा बिन्दु 1 से 7 प्रार्थी द्वारा स्वंय सिद्व करने हेतु निवेदन किया गया एवं बिन्दु संख्या 8 कानुनी है कि विपक्षीगण द्वारा विक्रय हेतु पंजीयन पत्र पेश करने पर विपक्षी संख्या 8 के विरूद्व रोक नहीं फरमावें चूंकि पंजीयन पर राज्य सरकार को आय होती है। विपक्षी संख्या 2 लगायत् 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि

1. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 अस्वीकार है। इस कलम में प्रार्थीगण द्वारा उक्त अनवान का वाद पेश करना तो स्वीकार है लेकिन यह गलत है कि उनका वादपत्र किन्हीं ठोस आधारों पर आधारित हो, प्रार्थीगण/ वादीगण का वादपत्र नितान्त मिथ्या एवं मनगढन्त होने से उन्हें उसमें किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त होने की आशा नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 प्रस्तुत रूप में स्वीकार है तथा उक्त कृषि भूमि के खातेदार मोहम्मद खां पिता वजीर खां का 1/2 हिस्सा मुसलमान सा.दे. व वाला पिता दामा तथा वरदा पिता सवा जाति डांगी 1/2 सा.दे. खातेदार होकर आधिपत्यधारी है।
3. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 प्रस्तुत रूप में अस्वीकार है यह कहना गलत है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों पर प्रार्थीगण का कोई आधिपत्य हों जबकि उक्त कृषि भूमियों के 1/2 हिस्से पर मोहम्मद खां का तथा 1/2 हिस्से पर वाला के विधिक उत्तराधिकारियों का तथा वरदा पिता सवा डांगी का आधिपत्य है। उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है।

सहायक कलक्टर, नाथद्वारा

4. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 प्रस्तुत रूप में अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त कृषि भूमियों के पूर्व खातेदार कालु पिता किसनाजी भोई माली निवासी देलवाडा खातेदार एवं आधिपत्यधारी था तथा कालु पिता किसना को रूपयों की आवश्यकता होने से वाला पिता दामा डांगी जो विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी थे, उनको 800.00 आठ सौ रूपये में वादग्रस्त आराजीयात् का 1/2 एक बटा दो हिस्सा विक्रय कर कब्जा दे दिया तथा तब से उक्त आधे हिस्से पर वाला पिता दामा तथा वरदा पिता सवा डांगी के वैधानिक उत्तराधिकारी काबिज होकर काश्त कर रहे हैं जिसे करीब 35 पैंतीस वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है तथा विपक्षीगण का आधिपत्य प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों की खुली जानकारी में बिना किसी आपत्ति एवं अवरोध के चला आ रहा है।
5. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 प्रस्तुत रूप से अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि राजस्व रेकर्ड में गलती से विपक्षीगण के नाम पर दर्ज न होकर विधिवत् रूप से एवं मौखिक रूप से नाम पर दर्ज हुई है।
6. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 प्रस्तुत रूप से अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के नाम पर उक्त कृषि भुमियां दर्ज करने के लिए कहा हों जबकि उक्त कृषि भूमियां विपक्षीगण के पूर्वाधिकारियों द्वारा विक्रय प्रतिफल से प्राप्त कर आधिपत्य प्राप्त किया है तथा उस पर उनका आधिपत्य भी वैधानिक तौर पर चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों पर न तो किसी प्रकार का आधिपत्य है और न स्वामित्व के संबंध में कोई अधिकार है इसलिए प्रार्थीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
7. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7 प्रस्तुत रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण किस प्रकार से है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में किस प्रकार है तथा उन्हें अपूरणीय क्षति किस प्रकार से होने वाली है से तथ्य प्रार्थीगण ने कहीं पर अंकित नहीं किये है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमियों के संबंध में प्रार्थी के पक्ष में न तो किसी प्रकार के स्वामित्व के अधिकार है और न ही आधिपत्य प्रार्थी का है क्योंकि उक्त वादग्रस्त कृषि भुमियां विपक्षीगण ने जब क्रय की है जिसे करीब 35 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है तब से ही विपक्षीगण इस पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दिये जाने से विपक्षीगण को ऐसी भारी क्षति होगी कि उसकी पूर्ति अर्थ में या अन्य प्रकार से संभव नहीं होगा तथा व्यर्थ के विवाद एवं मुकदमेबाजी बढेगी तथा विपक्षीगण अपने हक अधिकारों से वंचित हो जायेंगें।
8. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 8 कानूनी है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के व्यय सहित खारिज फरमाया जावें।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी की नकल एवं अन्य दस्तावेज एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत् 6 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2063–66 के खाता संख्या 319 एवं विक्रय पत्र के अवलोकन से वादग्रस्त आराजीयात् के विपक्षीगण दर्ज रेकर्ड खातेदार है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा वर्षों से उनके पूर्वाधिकारियों का आधिपत्य होना जाहिर किया है प्रार्थी के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात् पर वर्षों से उनके पूर्वाधिकारियों का कब्जा एवं आधिपत्य है। ऐसी परिस्थिति में उभयपक्ष के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो उभयपक्ष के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी एवं उपयोग–उपभोग को लेकर कई ओर विवाद बढेगे। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

–: निर्णय :–

सहायक कलक्टर, नाथद्वारा

अधि0 वादी / प्रार्थी / अपीलाण्ट / डिक्रीदार

उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम देलवाडा, पटवार हल्का देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में वर्णित आराजीयात् 1909,1911,1912,1913 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाए रखें। इस हेतु प्रार्थी एवं विपक्षीगण को पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर / नबंर से कम की जाकर / मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा